[2018] 1 एस. सी. आर. 336

राष्ट्रीय यात्रा सेवाएँ

वी.

आय कर आयुक्त, दिल्ली, VIII

(सिविल अपील सं। 2068-2071 2012 का)

18 जनवरी, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:

एस. 2 (22) (ई) (जैसा कि 1988 में संशोधित किया गया था)-साझेदारी फर्म ने अपने दो भागीदारों के नाम पर शेयर खरीदे, चाहे फर्म या भागीदारों को एस के उद्देश्य के लिए शेयरधारकों के रूप में माना जाना हो। 2 (22) (ई)-आयोजितः "शेयरधारक" शब्द

एस में हो रहा है। 2 (22) (ई) संशोधन के बाद, केवल एक व्यक्ति होना चाहिए जो शेयरों का लाभकारी मालिक हो-एक ही समय में न्यास के लाभार्थी के अर्थ में या अन्यथा एक पंजीकृत मालिक और लाभकारी मालिक नहीं हो सकता है यह कहने के लिए कि दो शर्तों को पूरा करना होगा अर्थात् कि शेयरधारक को पंजीकृत होना चाहिए।

" शेयरधारक "का मतलब संशोधन के बाद भी एक पंजीकृत शेयरधारक बना रहेगा) गलत निर्णय लिया गया है-इसलिए अंकिटेक के मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है-मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के गठन के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. "लाभांश" की परिभाषा जैसा कि यू/एस प्रदान की गई है।

2 (22) (ई) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा यह दर्शाती है कि उपरोक्त प्रावधान में निर्दिष्ट शेयरधारक एक ऐसा शेयरधारक बना रहेगा जो एक अतिरिक्त विशेषता के साथ कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर है, अर्थात्,

शेयरधारक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कंपनी में पर्याप्त रुचि हो। मान लीजिए, उपरोक्त अतिरिक्त सुविधा होगी

निर्धारित कानून की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। द.

कम्पनीक शेयरधारक ओ व्यक्ति होइत अछि जे कम्पनीक बहीमे शेयरधारकक रूपमे पंजीकृत रहैत अछि। [पैरा 9] [341-एच; 342 ए]

336 राष्ट्रीय यात्रा सेवाएँ v. आय कर आयुक्त, दिल्ली, VIII

2. तथापि, परिभाषा के संशोधन के बाद

" लाभांश ", 31.05.1987 के बाद, एक" शेयरधारक "वह व्यक्ति होता है जो कंपनी की मतदान शक्ति का कम से कम 10 प्रतिशत रखने वाले शेयरों का लाभकारी मालिक होता है। इसके अलावा, उन चिंताओं को पेश करके परिभाषा में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है जिसमें ऐसा शेयरधारक एक सदस्य या भागीदार है और जिसमें उसके पास है भारी ब्याज। संशोधित प्रावधान के स्पष्टीकरण (3) में कहा गया है कि "कंपनी" का अर्थ हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या एक कंपनी है और आगे यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी में पर्याप्त हितधारक माना जाएगा, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी कंपनी की आय के कम से कम 20 प्रतिशत के लिए लाभकारी रूप से हकदार है। [पैरा 12] [344-सी

डी]

3. परिभाषा के दोनों अंगों में "शेयरधारक" शब्द

यू/एस। 2 (22) (ई) का अर्थ बिल्कुल एक ही होगा। यह इस कारण से है कि दूसरे में "ऐसे शेयरधारक" अभिव्यक्ति

अंग से पता चलता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पहले अंग में "शेयरधारक" है। प्रावधान का पूरा उद्देश्य व्याख्यात्मक ज्ञापन और नए जोड़े गए परिभाषा खंड की शाब्दिक भाषा से स्पष्ट है जो दो निर्णयों को पार करना है। अर्थात सी. पी. में। सारथी मुदलियार मामला और मेसर्स रामेश्वरी लाल सांवरमल मामला। यही कारण है कि संशोधन के बाद "शेयरधारक" केवल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शेयरों का लाभकारी मालिक हो। न्यास के लाभार्थी के अर्थ में या एक ही समय में कोई भी पंजीकृत स्वामी और लाभकारी स्वामी नहीं हो सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस क्षण कोई शेयरधारक होता है, जिसे अनिवार्य रूप से कंपनी के रजिस्टर में सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, जो शेयरों का लाभकारी मालिक होता है, तब अनुभाग बिना किसी अधिक के आकर्षित हो जाता है। इसलिए, यह कहना कि दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्, कि शेयरधारक को पहले एक पंजीकृत शेयरधारक होना चाहिए और उसके बाद, एक लाभकारी मालिक भी होना चाहिए, न केवल पारस्परिक रूप से विरोधाभासी है, बल्कि स्पष्ट रूप से गलत है। इसके अलावा, क्या है

संशोधन के माध्यम से ऐसे लाभकारी मालिक को जोड़ना महत्वपूर्ण है, जिनके पास कम से कम 10 प्रतिशत मतदान की शक्ति है। यह एक और संकेतक है कि संशोधन केवल लाभप्रद की बात करता है शेयरधारक जो पंजीकृत मालिक को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए मजबूर कर सकता है। [पैरा 17,18] [345-जी-एच; 346-डी-ई] [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माथलोन वी। बॉम्बे लाइफ एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड [1954]

एस. सी. आर. 117-पर निर्भर।

4. # अंकिटेक का मामला, यह कहते हुए कि कोई बदलाव नहीं किया गया था

अभिव्यक्ति के रूप में डीमिंग फिक्शन का परिचय देना " शेयरधारक "चिंतित है, गलत तरीके से तय किया गया है और इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। [पारस 18,19] [346-बी-जी]

* सी. आई. टी. , आंध्र प्रदेश बनाम। सी. पी. सारथी मुदलियार

(1972) 4 एस. सी. सी. 531; * * मेसर्स रामेश्वरी लाल सांवरमल

वी. आयकर आयुक्त, असम (1980) 2 एससीसी 371 : [1980] 2 एस. सी. आर. 369; सी. आई. टी. बनाम. रामेश्वरी लाल

सांवरमल (1972) 4 एस. सी. सी. 342; #सी. आई. टी. वी. अंकिटेक

प्राइवेट लिमिटेड [2012] 340 आईटीआर 14 (डेल)। – संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

(1972) 4 एस. सी. सी. 531

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1980] 2 एससीआर 369

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

(1972) 4 एससीसी 342

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

[2012] 340 आईटीआर 14 (डेल)।

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1954] एससीआर 117

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2068

2071 2012 से।

उच्च न्यायालय के 11.07.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में आई. टी. ए. सं. 223 , 219 और 2010 का 1204 और 2011 का आई. टी. ए. सं. 309।

के साथ

2018 का सी. ए. सं. 837। गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , यू. ए. राणा, हिमांशु मेहता

सतेंद्र के. राय (एम/एस के लिए। गागराट एंड कंपनी), श्रीमती अनिल कटियार, अमित साहनी, एस. ए. हसीब, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. वर्तमान अपीलें एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं कि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (22) (ई) की सही व्याख्या, जैसा कि 1988 में संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय यात्रा सेवाएँ v. के आयुक्त

आय कर, दिल्ली, VIII [आर. एफ. नरीमन, जे.]

3. वर्तमान विवाद को तय करने के लिए संक्षिप्त तथ्य हैं:

इस प्रकार है:

निर्धारिती एक साझेदारी फर्म है जिसमें तीन भागीदार श्री नरेश गोयल, श्री सुरिंदर गोयल और मेसर्स जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, जिनका लाभ हिस्सेदारी अनुपात क्रमशः 35 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है। निर्धारिती फर्म ने एक करोड़ रुपये का ऋण लिया था। 28,52,41,516 / मेसर्स जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। इस कंपनी में,

4. इन अपीलों में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 2 (22) (ई) आकर्षित होती है क्योंकि एक शेयरधारक को ऋण दिया गया है, जो संशोधन के बाद, एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी में मतदान शक्ति का कम से कम 10 प्रतिशत रखने वाले शेयरों का लाभकारी मालिक है, और क्या ऋण किसी ऐसी संस्था को दिया गया है जिसमें ऐसा शेयरधारक भागीदार है और जिसमें उसका पर्याप्त ब्याज है, जिसे फर्म के लाभ के हिस्से के 20 प्रतिशत या उससे अधिक के ब्याज के रूप में परिभाषित किया गया है। 5. आयकर अधिनियम, 1922 में "लाभांश" की परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है:

" 2. (6(क) 'लाभांश' में शामिल हैं -

(ई) एक कंपनी द्वारा कोई भुगतान, जो एक कंपनी नहीं है, जिसमें जनता धारा के अर्थ के भीतर काफी रुचि रखती है।

23 क, किसी को अग्रिम या ऋण के रूप में किसी भी राशि (चाहे वह कंपनी की परिसंपत्तियों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के रूप में हो या अन्यथा) का शेयरधारक या किसी ऐसी कंपनी द्वारा किसी शेयरधारक की ओर से या उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भुगतान, जिस हद तक कंपनी के पास दोनों मामलों में संचित लाभ है;

6. यह प्रावधान एक पीठ के समक्ष विचार के लिए आया

सी. आई. टी., आंध्र प्रदेश बनाम में यह न्यायालय। सी. पी. सारथी मुदलियार, (1972) 4 एस. सी. सी. 531। निर्धारिती के हिंदू अविभाजित होने के संदर्भ में

परिवार, उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून का प्रश्न इस प्रकार है:

" क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर 5,790 रुपये और 0,85 रुपये की राशि को संबंधित हिंदू अविभाजित परिवार की लाभांश आय माना जा सकता है।

मूल्यांकन वर्ष? "

उपरोक्त धारा को निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

2 (क) यह किसी शेयरधारक के लिए अग्रिम या ऋण होना चाहिए, या (ख) कंपनी द्वारा व्यक्ति की ओर से या उसके लिए भुगतान

शेयरधारक का लाभ, और

3. जिस हद तक कंपनी के पास दोनों ही मामलों में स्वामित्व है

संचित लाभ "।

यह कहने के बाद कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उक्त मामले में पहली और अंतिम शर्तें पूरी हुईं, न्यायालय 2 (ए) की शर्त पर चला गया। न्यायालय द्वारा इसका उत्तर इस प्रकार दिया गयाः

" 8. एकमात्र बचा हुआ सवाल यह है कि क्या किसी कंपनी द्वारा एच. यू. एफ. को दिया गया ऋण, जो शेयरों का वास्तविक मालिक है, ऐसा कर सकता है। अपने शेयरधारक को दिए गए ऋण के रूप में माना जाएगा। यह अच्छी तरह से तय है कि एक एच. यू. एफ. किसी कंपनी का शेयरधारक नहीं हो सकता है। द.

कम्पनीक शेयरधारक ओ व्यक्ति होइत अछि जे कम्पनीक बहीमे शेयरधारकक रूपमे पंजीकृत रहैत अछि। एच. यू. एफ., इस मामले में निर्धारिती, कंपनी की पुस्तकों में शेयरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं था और न ही इसे इस तरह से पंजीकृत किया जा सकता था। इसलिए, कोई लाभ नहीं है-यह कहते हुए कि एच. यू. एफ. का शेयरधारक नहीं था।

कंपनी ने। श्री सेन ने अन्यथा विरोध नहीं किया।

9. धारा 2 (6 ए) (ई) "लाभांश" की एक कृत्रिम परिभाषा देती है। यह वास्तव में घोषित या प्राप्त लाभांश में नहीं लेता है। उस प्रावधान द्वारा ध्यान में रखा गया लाभांश एक मानित लाभांश है न कि वास्तविक लाभांश। शेयरधारक को दिया गया ऋण कंपनी को वापस करना पड़ता है। यह शेयरधारक की आय नहीं बनती है। कुछ उद्देश्यों के लिए, विधानमंडल ने ऐसे ऋण को राष्ट्रीय यात्रा सेवा के रूप में माना है।

" लाभांश "। इसलिए, धारा 2 (6 ए) (ई) को अनिवार्य रूप से एक

सख्त निर्माण। जब धारा 2 (6 ए) (ई) की बात होती है

" ", यह पंजीकृत शेयरधारक को संदर्भित करता है न कि

लाभकारी मालिक। एच. यू. एफ. को एक नहीं माना जा सकता है

शेयरधारक या तो धारा 2 (6 ए) (ई) के तहत या धारा 23 ए के तहत या अधिनियम की धारा 18 (5) के साथ पठित धारा 16 (2) के तहत। इसलिए, एच. यू. एफ. को दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण नहीं माना जा सकता है।

किसी कंपनी के "शेयरधारक" के लिए।

7. इस फैसले के बाद मैसर्स रामेश्वरी लाल सांवरमल बनाम आयकर आयुक्त मामले में इस अदालत का एक और फैसला आया।

असम (1980) 2 एस. सी. सी. 371 जो फिर से एक हिंदू अविभाजित परिवार के संदर्भ में उभरा। इसमें सारथी मुदलियार के मामले का पालन किया गया।

निर्णय, और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस निर्णय और एक अन्य निर्णय, अर्थात् सी. आई. टी. बनाम सी. आई. टी. के बीच कोई टकराव नहीं था। रामेश्वरी लाल सांवरमल, (1972) 4 एस. सी. सी. 342, और सारथी मुदलियार के मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने के राजस्व के तर्क को खारिज कर दिया गया।

8. इन दो निर्णयों का प्रभाव स्पष्ट रूप से यह मानता है कि 1922 के अधिनियम की धारा 2 (6 ए) (ई) को आकर्षित करने से पहले, उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट "शेयरधारक" एक शेयरधारक होना चाहिए जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर है। जब आयकर अधिनियम, 1961 लागू हुआ और 1922 के अधिनियम को निरस्त किया गया, तो धारा 2 (22) (ई) में निहित "लाभांश" की परिभाषा इस प्रकार थीः

" खंड 2. परिभाषा-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

आवश्यकता है,

(22) " लाभांश में शामिल हैं

(ई) एक कंपनी द्वारा कोई भुगतान, एक कंपनी नहीं है जिसमें

जनता किसी भी राशि में काफी रुचि रखती है (चाहे

कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए या अन्यथा) किसी शेयरधारक को अग्रिम या ऋण के रूप में, वह व्यक्ति जिसका कंपनी में पर्याप्त हित है या ऐसी किसी कंपनी द्वारा कंपनी की ओर से या व्यक्तिगत लाभों के लिए कोई भुगतान किया जाता है।

शेयरधारक, जिस हद तक कंपनी किसी भी मामले में

संचित लाभ रखता है; "

9. उपरोक्त परिभाषा पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि उपरोक्त प्रावधान में संदर्भित शेयरधारक जारी रहेगा

एक शेयरधारक बनें जो कंपनी [2018] 1 एस. सी. आर. के सदस्यों के रजिस्टर पर हो।

एक अतिरिक्त विशेषता, अर्थात्, कि ऐसा शेयरधारक एक होना चाहिए

एन जिसकी कंपनी में पर्याप्त रुचि है। मान लीजिए,

कहा गया कि अतिरिक्त सुविधा से स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा

उपरोक्त दो निर्णयों में सहायता करें।

10. हालाँकि, 1988 में इस परिभाषा को इस रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया गया था

वीएसः

जनता किसी भी राशि में काफी रुचि रखती है (चाहे कंपनी की परिसंपत्तियों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करना या अन्यथा)

31 मई 1987 के बाद अग्रिम या ऋण के माध्यम से

एक शेयरधारक के लिए, एक व्यक्ति होने के नाते जो लाभप्रद मालिक है

शेयर (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयर नहीं हैं या नहीं

लाभ में भाग लेने के अधिकार के साथ या उसके बिना) कम नहीं मतदान शक्ति के दस प्रतिशत से अधिक, या किसी भी संस्था के लिए जिसमें

ऐसा शेयरधारक एक सदस्य या भागीदार होता है और जिसमें उसका एक

पर्याप्त ब्याज (इसके बाद इस खंड में उक्त के रूप में संदर्भित)

चिन्ता), या ऐसी किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से कोई भुगतान

ऐसे किसी भी शेयरधारक का व्यक्तिगत लाभ, जिस हद तक - जो दोनों ही मामलों में कंपनी के पास संचित लाभ है

99

स्पष्टीकरण 2. - अभिव्यक्ति "संचित लाभ", उप में

खंड (ए), (बी), (डी) और (ई) में कंपनी के सभी लाभ शामिल होंगे।

उन उपखंडों में निर्दिष्ट वितरण या भुगतान की तारीख तक

खंड और उपखंड (ग) में कंपनी के सभी लाभ शामिल होंगे।

परिसमापन की तारीख तक, {लेकिन नहीं होगा, जहां परिसमापन है

द्वारा अपने उपक्रम के अनिवार्य अधिग्रहण के परिणामस्वरूप

सरकार या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम

वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत सरकार में शामिल हैं:

लगातार तीन वर्षों से पहले कंपनी का कोई भी लाभ

पिछले वर्ष से ठीक पहले के वर्ष जिसमें

अधिग्रहण हुआ;

स्पष्टीकरण 3. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

(क) "संस्था" का अर्थ है एक हिंदू अविभाजित परिवार, या एक फर्म या एक

व्यक्तियों का संगठन या व्यक्तियों का एक निकाय या एक कंपनी; राष्ट्रीय यात्रा सेवाएँ v.

आय कर आयुक्त, दिल्ली, 8 [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) एक व्यक्ति को एक में पर्याप्त हित माना जाएगा

एक कंपनी के अलावा, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी कंपनी की आय के कम से कम बीस प्रतिशत के लिए लाभकारी रूप से हकदार है;

11. संशोधन के लिए स्पष्टीकरण ज्ञापन इस प्रकार बनाया गया है:

" धारा 104 से 109 को हटाने के साथ इस बात की संभावना थी कि निकट स्वामित्व वाली कंपनियां अपने मुनाफे को शेयरधारकों को लाभांश के माध्यम से नहीं बल्कि ऋण या अग्रिम के माध्यम से वितरित करेंगी ताकि

इन पर शेयरधारकों के हाथों में कर नहीं लगाया जाता है। रोकथाम के लिए

इस हेरफेर, धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ई) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, भुगतान।

किसी कंपनी में पर्याप्त ब्याज रखने वाले शेयरधारकों को ऋण या अग्रिम के रूप में जिस हद तक कंपनी के पास संचित लाभ है, उसे लाभांश माना जाता है। पर्याप्त ब्याज वाले शेयरधारक वे हैं जिनकी शेयरधारिता के प्रावधानों के अनुसार 20 प्रतिशत से कम मतदान की शक्ति नहीं है।

धारा 2 का खंड (32)। परिभाषा का संशोधन (i) कम से कम 10 प्रतिशत मतदान शक्ति रखने वाले शेयरधारक को, या (ii) ऐसी संस्था को भुगतान करने के लिए लागू होता है जिसमें शेयरधारक का पर्याप्त ब्याज होता है। धारा 2 (22) में नए जोड़े गए स्पष्टीकरण 3 (ए) के अनुसार "चिंता" का अर्थ है एक एचयूएफ या एक फर्म या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय या एक कंपनी। एक में पर्याप्त रुचि रखने वाला शेयरधारक

स्पष्टीकरण 3 के भाग (बी) के अनुसार चिंता को वह माना जाता है जो ऐसी संस्था की आय के कम से कम 20 प्रतिशत के लिए लाभकारी रूप से हकदार है।

10.3 इसलिए नए प्रावधान ऐसे मामले में लागू होंगे जहां किसी शेयरधारक के पास 10 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी पूंजी हो। इसके अलावा, मानित लाभांश पर कर एक संस्था के हाथों में लगाया जाएगा जहां निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

((i) जहाँ कंपनी किसी संस्था को ऋण या अग्रिम के माध्यम से भुगतान करती है। ; ((ख) जहाँ कंपनी के किसी सदस्य या भागीदार के पास कंपनी में मतदान करने की 10 प्रतिशत शक्ति है; और

((ग) जहां संस्था का सदस्य या भागीदार भी ऐसी संस्था की आय का 20 प्रतिशत लाभप्रद रूप से प्राप्त करने का हकदार है।

ऋण पहले ही दिए जा चुके हैं, नए प्रावधान केवल उन मामलों में लागू किए गए हैं जहां 31 मई, 1987 के बाद ऋण या अग्रिम दिए गए हैं। ये संशोधन वर्ष 1988 के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

89 और बाद के वर्षों में।

12. संशोधित परिभाषा को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि 31.05.1987 के बाद, एक "शेयरधारक" अब एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी की मतदान शक्ति का कम से कम 10 प्रतिशत रखने वाले शेयरों का लाभकारी मालिक है। इसके अलावा, उन चिंताओं को पेश करके परिभाषा में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है जिसमें ऐसा शेयरधारक एक सदस्य या भागीदार है और जिसमें उसका पर्याप्त हित है। संशोधित प्रावधान के स्पष्टीकरण (3) में कहा गया है कि "चिंता" का अर्थ है हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, या एक कंपनी और आगे यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति को हिंदू अविभाजित परिवार में पर्याप्त हित में माना जाएगा।

कंपनी के अलावा अन्य किसी कंपनी के लिए, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी कंपनी की आय के 20 प्रतिशत से कम के लिए लाभकारी रूप से हकदार है।

चिंता की बात।

13. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री उज्जवल ए. राणा ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि सी. आई. टी. बनाम सी. आई. टी. बनाम सी. आई. टी. बनाम

14. इसके विपरीत, राजस्व की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्णकुमार ने राष्ट्रीय यात्रा सेवा बनाम का समर्थन करने की मांग की है।

आय कर आयुक्त, दिल्ली, 8 [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह इंगित करते हुए विवादित निर्णय कि विवादित निर्णय स्वयं अंकिटेक (उपरोक्त) और वर्तमान मामले में तथ्यों के बीच अंतर किया है। उनके अनुसार, विवादित फैसले में संदर्भ है

केवल संशोधित परिभाषा के दूसरे अंग के लिए, अर्थात् उस अंग के लिए जो किसी भी चिंता से संबंधित है जिसमें ऐसा शेयरधारक एक सदस्य है और पहले अंग के लिए नहीं, जो एक शेयरधारक के साथ एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करता है जो शेयरों का लाभकारी मालिक है। उनके अनुसार, इसलिए, डिवीजन बेंच ने अंकिटेक (ऊपर) में निर्णय को सही ढंग से दरकिनार कर दिया और उठाए गए दो प्रश्नों के निष्कर्ष पर सही ढंग से पहुंचा।

15. यह हमें वर्तमान मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर लाता है। पैरा 17 में, हमारे द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, खंड पीठ ने दो प्रश्न पूछे जिनका उत्तर उसके द्वारा निम्नलिखित रूप में दिया जाना चाहिए:

" (1) अधिनियम की धारा 2 (22) (ई) के पहले अंग को आकर्षित करने के लिए, क्या यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसने अग्रिम या ऋण प्राप्त किया है

वह एक शेयरधारक है और लाभकारी स्वामी भी है। इसे अन्यथा रखने के लिए, क्या दोनों शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, यह "शेयरों का लाभकारी स्वामी होने के नाते" शब्दों को दी जाने वाली व्याख्या पर निर्भर करेगा। जिसे वित्त द्वारा किए गए उपरोक्त प्रावधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

अधिनियम, 1987 1 अप्रैल, 1988 से लागू हुआ।

(2) क्या निर्धारिती जो एक साझेदारी फर्म है, उसे 'शेयरधारक' के रूप में माना जा सकता है क्योंकि उसने इसे खरीदा है। दोनों भागीदारों के नाम पर हिस्सेदारी।

डिवीजन बेंच तब कहती है कि, इसलिए, धारा को आकर्षित करने के लिए 2 (22) ((ङ) दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि एक साझेदारी फर्म

17. हमारा विचार है कि खंड पीठ के तर्क को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अंकिटेक का मामला संशोधित परिभाषा के दूसरे अंग को संदर्भित करता है, जबकि वर्तमान

मामला पहले अंग को संदर्भित करता है, सरल कारण के लिए कि शब्द " दोनों अंगों में शेयरधारक का मतलब बिल्कुल एक ही होगा।

इस कारण से कि दूसरे अंग में "ऐसे शेयरधारक" अभिव्यक्ति से पता चलता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पहले अंग में "शेयरधारक" है।

18. यह मामला होने के कारण, हमारा विचार है कि संशोधित प्रावधान के पूरे उद्देश्य को दबा दिया जाएगा यदि डिवीजन बेंच

निर्णय का पालन किया जाना था। अंकिटेक के मामले में, यह कहते हुए कि जहां तक "शेयरधारक" अभिव्यक्ति का संबंध है, डीमिंग फिक्शन को पेश करके कोई बदलाव नहीं किया गया था, हमारे अनुसार, गलत निर्णय लिया गया है। प्रावधान का पूरा उद्देश्य व्याख्यात्मक ज्ञापन और नए जोड़े गए परिभाषा खंड की शाब्दिक भाषा से स्पष्ट है जो इस न्यायालय के दो निर्णयों को यहाँ ऊपर संदर्भित करता है। यही कारण है कि संशोधन के बाद अब "शेयरधारक" केवल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शेयरों का लाभकारी मालिक हो। कोई पंजीकृत नहीं हो सकता है।

एक ही समय में न्यास के लाभार्थी के अर्थ में या अन्यथा स्वामी और लाभकारी स्वामी। इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस क्षण कोई शेयरधारक होता है, जिसे अनिवार्य रूप से कंपनी के रजिस्टर में सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, जो शेयरों का लाभकारी मालिक होता है, तब अनुभाग बिना किसी अधिक के आकर्षित हो जाता है। इसलिए, यह कहना कि दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्, कि शेयरधारक को पहले एक पंजीकृत शेयरधारक होना चाहिए और उसके बाद, एक लाभकारी मालिक भी होना चाहिए, न केवल पारस्परिक रूप से विरोधाभासी है, बल्कि स्पष्ट रूप से गलत है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण बात यह है कि संशोधन के माध्यम से ऐसे लाभकारी मालिक को जोड़ा जाए, जिनके पास कम से कम 10 प्रतिशत मतदान की शक्ति हो। यह एक अन्य संकेतक है कि संशोधन केवल एक लाभकारी शेयरधारक की बात करता है जो पंजीकृत मालिक को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि मैथलोन बनाम बॉम्बे लाइफ एस्योरेंस कंपनी से शुरू होने वाले निर्णयों के एक समूह में आयोजित किया गया है। लिमिटेड, [1954] एस. सी. आर. 117।

19. यह मामला होने के कारण, हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि अंकिटेक निर्णय (ऊपर) पर ही पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और यह इस प्रकार, उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों में गए बिना, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्य संशोधित परिभाषा खंड के दूसरे अंग के अनुरूप होंगे, हम इन अपीलों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखते हैं ताकि पूरे प्रश्न पर फिर से विचार करने के लिए तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक उपयुक्त पीठ का गठन किया जा सके।

20. तदनुसार आदेश दिया।

कल्पना के. त्रिपाठी

मामला माननीय

के समक्ष रखा गया

तीन न्यायाधीशों की पीठ के

गठन के लिए सीजेआई।